

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-सा.-10062025-263703
SG-DL-W-10062025-263703

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5]	दिल्ली, मई 30— जून 5, 2025, बृहस्पतिवार/ ज्येष्ठ 9—ज्येष्ठ 15, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 76
No. 5]	DELHI, MAY 30—JUNE 5, 2025, THURSDAY/JYAISHTHA 9—JYAISHTHA 15, 1947	[N.C.T.D. No. 76

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली
अधिसूचना

दिल्ली, 29 मई, 2025

विषय: ग्रीष्मकालीन अवकाश-2025 के दौरान अत्यावश्यक मामलों के आवेदन (मेन्शनिंग) और सुनवाई का प्रबंध
सं. 33/स्था./ई।-1/डी.एच.सी.—

- एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित माननीय न्यायाधीशगण को आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश 2025 के दौरान अत्यावश्यक मामले, यदि कोई हों, की सुनवाई हेतु सहर्ष नामनिर्दिष्ट करते हैं:-

क्रम सं.	माननीय न्यायाधीशगण के नाम	अवधि	
		से	तक
1.	माननीय न्यायाधीश श्री तुषार राव गेदेला माननीय न्यायाधीश श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर	31.05.2025	07.06.2025
2.	माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश कठपालिया माननीय न्यायाधीश श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर	08.06.2025	—
3.	माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश कठपालिया माननीय न्यायाधीश श्री तेजस कारीआ	09.06.2025	15.06.2025
4.	माननीय न्यायाधीश श्री तेजस कारीआ माननीय न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार गुप्ता	16.06.2025	17.06.2025
5.	माननीय न्यायाधीश सुश्री प्रतिभा एम. सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार गुप्ता	18.06.2025	20.06.2025
6.	माननीय न्यायाधीश सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा माननीय न्यायाधीश श्री रजनीश कुमार गुप्ता	21.06.2025	23.06.2025
7.	माननीय न्यायाधीश श्री मनोज जैन माननीय न्यायाधीश सुश्री रेनू भटनागर	24.06.2025	30.06.2025

2. माननीय मुख्य न्यायाधीश ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पालन करने हेतु निम्न आदेश भी सहर्ष पारित करते हैं:-
 - (i) माननीय न्यायाधीशगण अति-आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी मामलों तथा ऐसे अन्य मामले जो कि उपरोक्त तिथियों की तालिका के अनुसार उनके समक्ष रखे जाएँ, की सुनवाई हेतु खंडपीठ में एवं अकेले भी बैठेंगे।
 - (ii) सामान्यतः माननीय न्यायाधीशगण सोमवार, बुधवार और शुक्रवार तथा ऐसे दूसरे अन्य दिवसों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझें, प्रातः 10.30 बजे से न्यायालय में बैठेंगे। यदि किसी दिन निर्धारित मामलों की सुनवाई उसी दिन समाप्त नहीं हो पाती है तो बैठक अगले दिन भी जारी रहेगी।
 - (iii) यदि दोनों में से कोई माननीय न्यायाधीश किन्हीं अनपेक्षित कारणों से किसी दिन उपलब्ध नहीं हैं, तो दूसरे माननीय न्यायाधीश इस शर्त के अधधीन अकेले ही बैठेंगे कि वह खंडपीठ के मामलों को खारिज नहीं करेंगे।
3. न्यायालय का कार्यालय द्वितीय शनिवार, रविवार एवं अन्य अवकाश, यदि कोई हों, के अतिरिक्त प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न से 05:30 अपराह्न तक खुला रहेगा।
4. कोई समावेदन मामला, जो सामान्यतः दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा सुने जाने योग्य है, अकेले बैठे न्यायाधीश के विवेक से केवल स्वीकार किया जा सकेगा परन्तु खारिज नहीं किया जाएगा (उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश खंड V, अध्याय 3-ख, नियम 3 के परंतुक के अनुसार)
5. दीवानी एवं फौजदारी मामलों को संस्थापित करने हेतु अवकाश के दौरान परिसीमा का समय लागू नहीं होगा।
6. सभी वाद पत्र, अपीलें, याचिकाएं अथवा अन्य मामले, जिनका तत्काल एवं तुरंत निपटान किया जाना आवश्यक है, द्वितीय शनिवार, रविवार तथा अन्य अवकाश, यदि कोई हों, के अतिरिक्त प्रतिदिन 10.00 बजे पूर्वाह्न से दोपहर 12.00 बजे के मध्य कार्यरत संयुक्त निबंधक/उप निबंधक के समक्ष दाखिल किए जा सकते हैं।

7. वाद, अपीलें, आवेदन अथवा अन्य कार्यवाहियां, जो न्यायालय पुनः खुलने के दिन दाखिल की जानी हैं, वे सोमवार, दिनांक 23 जून, 2025 से सोमवार 30 जून, 2025 तक 10.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक भी पक्षकारों की सुविधानुसार संस्थित/प्रस्तुत अथवा नियमित अनुक्रम से दाखिल की जा सकती हैं यद्यपि परिसीमा के उद्देश्य से न्यायालय केवल 01.07.2025 को पुनः खुलेगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

दिनेश कुमार मनचंदा, संयुक्त निबंधक (स्थापना-I)

[पृष्ठा.सं. 10124 /ई.1-1/ स्थापना /डी.एच.सी]

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI : AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 29th May, 2025

SUBJECT: ARRANGEMENT OF MENTIONING AND HEARING OF URGENT MATTERS DURING SUMMER VACATION - 2025

No. 33/Estt/EI-I/DHC .—

1. It is hereby notified that Hon'ble the Chief Justice is pleased to nominate the following Hon'ble Judges for hearing urgent matters, if any, during ensuing Summer Vacation 2025:-

Sl. No.	NAME OF THE HON'BLE JUDGES	PERIOD	
		FROM	TO
1.	Hon'ble Mr. Justice Tushar Rao Gedela Hon'ble Mr. Justice Harish Vaidyanathan Shankar	31.05.2025	07.06.2025
2.	Hon'ble Mr. Justice Girish Kathpalia Hon'ble Mr. Justice Harish Vaidyanathan Shankar	08.06.2025	--
3.	Hon'ble Mr. Justice Girish Kathpalia Hon'ble Mr. Justice Tejas Karia	09.06.2025	15.06.2025
4.	Hon'ble Mr. Justice Tejas Karia Hon'ble Mr. Justice Rajneesh Kumar Gupta	16.06.2025	17.06.2025
5.	Hon'ble Ms. Justice Prathiba M. Singh Hon'ble Mr. Justice Rajneesh Kumar Gupta	18.06.2025	20.06.2025
6.	Hon'ble Ms. Justice Manmeet Pritam Singh Arora Hon'ble Mr. Justice Rajneesh Kumar Gupta	21.06.2025	23.06.2025
7.	Hon'ble Mr. Justice Manoj Jain Hon'ble Ms. Justice Renu Bhatnagar	24.06.2025	30.06.2025

2. Hon'ble the Chief Justice is further pleased to pass the following orders for being followed during the course of summer vacation:-

- The Hon'ble Judges will sit in Division Benches and also singly to hear urgent Civil and Criminal matters and such other matters as may be placed before them as per the schedule of dates given above.
 - Ordinarily the Hon'ble Judges will sit in Court on Mondays, Wednesdays and Fridays and such other days as they may think fit at 10.30 A.M. The sitting may continue for the next succeeding day if matters fixed for any day are not finished on that day.
 - If one of the Hon'ble Judges is not available on any day for any unforeseen reason, the other Hon'ble Judge may sit alone subject to the condition that the Hon'ble Judge shall not dismiss the Division Bench matters.
3. The office of the Court will remain open daily from 10.00 A.M. to 5.30 P.M. except on Second Saturday, Sundays and other holidays, if any.

4. A motion matter normally entertainable by bench of two Judges may only be admitted in the discretion of the Judge sitting singly but will not be dismissed (vide proviso to Rule 3 Chapter 3-B, High Court Rules and Orders Volume V).
5. Limitation will not run during the vacation period for purposes of institution of Civil and Criminal cases.
6. All complaints, appeals, petitions or other matters as may require to be immediately or promptly dealt with, can be filed with the Joint Registrar/Deputy Registrar on duty between 10.00 A.M. and 12 Noon on all days except Second Saturday, Sundays and other holidays, if any.
7. Suits, Appeals, Applications or other proceedings, which are to be filed on the re-opening day, may also be instituted/preferred or made in regular course between 10.00 A.M. and 4.00 P.M. from Monday, the 23rd June, 2025 to Monday, the 30th June, 2025 as per convenience of the parties though for the purpose of limitation the Court re-opens only on 01.07.2025.

By Order of the Court,

Dinesh Kumar Manchanda, Jt. Registrar (Estt. I)

[Endst. No.10124/EI-I/Estt./DHC]

ARUN BHARDWAJ, Registrar General